The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] No. 448

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2007/आश्विन 12, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ASVINA 12, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय मुद्रा में और लेखन सामग्री पर भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग और उसके डिजाइन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम, 2007 흥 +
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी होगा।
 - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) ''अधिनियम'' से भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 50) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''संप्रतीक'' सं अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित भारत का राज्य संप्रतीक अभिप्रेत है ;
 - (ग) ''अनुसूची'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिष्रेत है ;
 - (घ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, ''राज्य सरकार'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारां नियुक्त किया गया उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।
 - 3. शासकीय मुद्रा का डिजाइन.—(1) शासकीय मुद्रा के डिजाइन में अंडाकार या गोल विरचना में संलग्न संप्रतीक होगा ।
 - (2) विरचना के आंतरिक और बाहरी घेरों के बीच मंत्रालय या कार्यालय का नाम उपदर्शित होगा।
- (3) जहां किसी मंत्रालय या कार्यालय का पूरा नाम रखा जाना संभव नहीं है, वहां उसके नाम का संक्षिप्त रूप अंकित किया जा सकेगा।
- 4. राज्यों <mark>या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंगीकार करना.</mark>—(1) कोई राज्य सरकार संप्रतीक को, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शासकीय संप्रतीक के रूप में अंगीकार कर सकेगी ।
 - (2) जहां कोई राज्य सरकार, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक या उसके किसी भाग का सम्मिलित करने

4092 GI/2007

का प्रस्ताव करती है, वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पृश्चात् ऐसा करेगी और डिजाइन तथा अभिन्यास को केन्दीय सरकार से अनुमोदित कराएगी :

परन्तु जहां किसी राज्य सरकार ने, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक या उसका भाग पहले से ही सम्मिलित किया हुआ है, यहां वह इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग जारी रख सकेगी।

- 5. शासकीय मुदा में प्रयोग.—शासकीय मुद्रा में संप्रतीक का प्रयोग, अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्वधित होगा ।
- 6. लेखन सामग्री पर प्रयोग.—(1) शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर संप्रतीक का प्रयोग, पूर्वोक्त अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्वधित रहेगा ।
- (2) संप्रतीक, जब शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामग्री पर मुद्रित या समुद्भृत किया जाए तो वह ऐसी लेखन सामग्री के शीर्ष के मध्य में सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा ।
 - वाहनों पर संप्रदर्शन.—वाहनों पर संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्वधित होगा।
- 8. सरकारी भवनों पर संप्रदर्शन.—(1) संप्रतीक को, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सचिवालय भवन जैसे अति महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा।
- (2) संप्रतीक को, उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के राजभवन या राज निवास और राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालयों और सिवचालय भवनों पर भी संप्रदर्शित किया जा सकेगा, जिन्होंने संप्रतीक को अंगीकार किया है या जिन्होंने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में, संप्रतीक को सिम्मिलित किया हुआ है।
- (3) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन के परिसरों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा और मिशनों के प्रमुख अपने प्रत्यायन के देशों में अपने निवास स्थानों पर संप्रतीक को संप्रदर्शित कर सकेंगे।
- (4) संप्रतीक को, विदेशों में भारत के कौंसलावास द्वारा अधिभोग किए गए भवनों पर, उनके प्रवेश द्वारों पर और उनके प्रत्यायन के देशों में कौंसलीय पदों के प्रमुखों के निवास स्थानों पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा ।
- 9. विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संप्रतीक का प्रयोग अनुसूची-III में यथानिविर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकेंगा।
- 10. संप्रतीक के प्रयोग पर निर्वधन.—(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्य, विधान सभाओं के भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी जैसे सरकार के भूतपूर्व कृत्यकारी भी हैं) किसी भी रीति में, संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा।
- (2) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किए गए से भिन्न कोई आयोग या समिति, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद्, पंचायतराज संस्था, परिषद्, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय किसी भी रीति में सप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा।
- (3) कोई संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, किसी रीति में अपने लेटरहेडों, पुस्तिकाओं, आसनों, कलगी, बैज, हाउस फ्लैगों पर या किसी अन्य प्रयोजन के लिए संप्रतीक का प्रयोग नहीं करेगा।
- (4) ऐसी लेखन-सामग्री पर, जिसके अंतर्गत लैटरहेड, परिचय-कार्ड और बधाई कार्ड भी हैं, जो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ लेखन सामग्री पर इन नियमों के अधीन संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं, अधिवक्ता, संपादक, चार्टर्ड अकार्डटेंट, जैसे शब्द नहीं होंगे।
- 11. संप्रतीक के प्रयोग को निर्वधित करने वाली दशाएं और शर्ते,—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या वृत्ति के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन में संप्रतीक या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं करेगा या उसका प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा:

परन्तु कोई व्यक्ति श व्यक्ति समृह, संगम, निकाय, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा आयोजित किसी समारोह के संबंध में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के साथ संयुक्त रूप से किसी प्रकाशन के संबंध में संप्रतीक का प्रयोग कर सकेगा।

- 12. संप्रतीक के डिजाइन की उपलब्धता.—(1) संप्रतीक के फोटो ग्राफिक डिजाइन प्रबंधक, फोटोलिथो खण्ड, भारत सरकार सुद्रणालय, मिटो रोड, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं और उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं।
 - (2) संप्रतीक के मानक, डाई का नमूना, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसूची-[

(नियम 5 और 6 देखें)

संविधानिक या कानूनी प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और अन्य सरकारी कृत्यकारी, जो संप्रतीक का प्रयोग कर सकेंगे।

(i) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ का कोई मंत्री ;

- (ii) राज्यपाल, उप-राज्यपाल, प्रशासन, यदि, यथास्थिति, संप्रतीक को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अंगीकार किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सम्मिलित किया गया है ;
- (iii) भारत की संसद का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
- (iv) न्यायाधीरा और न्यायपालिका के कार्यालय और उसके अधिकारी ;
- (v) योजना आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी:
- (vi) भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
- (vii) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
- (viii) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय और उसके अधिकारी ;
- (ix) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय तथा उनके अधिकारी ;
- (x) विदेशों में राजनयिक मिशन और उनके अधिकारी :
- (xi) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री और मंत्री, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;
- (xii) संसद सदस्य और यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यों की विधान सभाओं या विधान परिषदों के सदस्य ;
- (xiii) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के मंत्रालय, विभाग और कार्यालय और उनके अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सिम्मिलत किया गया है ;
- (xiv) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं या विधान परिषदों के कार्यालय और अधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है;
- (xv) संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकरण ;
- (xvi) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित आयोग और प्राधिकारी, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है ;

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, ''अधिकारी'' पद से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुसूची 🛮

(नियम ७ देखें)

भाग 1

सांविधानिक प्राधिकारी और अन्य उच्चाधिकारी, जो अपनी कारों पर संप्रतीक संप्रदर्शित कर सकेंगे

- राष्ट्रपति भवन की कारें, जब निम्नलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी ऐसे वाहनों में यात्रा कर रहे हों :
 - (क) राष्ट्रपति,
 - (ख) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,
 - (ग) विदेशी राज्यों के अतिथि, उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति के उच्चाधिकारी,
 - (घ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या किसी विदेशी राज्य के राजकुमार या राजकुमारी जैसे समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,
 - (ङ) राष्ट्रपति की कार के पीछे चलने वाली अतिरिक्त कार ;
- (ii) उप-राष्ट्रपति की कार, जब बह या उसका पित या उसकी पत्नी ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हों ;
- (iii) राजभवन और राज निवासों की कारें, यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में उसे सिम्मिलित किया गया है, जब संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे वाहनों द्वारा निम्निलिखित उच्चाधिकारी या उनके पति या पत्नी यात्रा कर रहे हों :
 - (क) राष्ट्रपति,
 - (ख) उप-राष्ट्रपति.
 - (ग) राज्य का राज्यपाल,
 - (घ) संघ राज्यक्षेत्र का उप-राज्यपाल,
 - (ङ) विदेशी राज्यों के प्रमुख अतिथि,

- (च) विदेशी राज्यों के अतिथि उप-राष्ट्रपति या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,
- (छ) विदेशी सरकारों के प्रमुख अतिथि या समतुल्य प्रास्थिति वाले उच्चाधिकारी,
- (iv) भारत के राजनियक मिशनों के प्रमुखों द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;
- (v) विदेश में भारत के काउंसेल के प्रमुख द्वारा प्रत्यायन के देश में उपयोग की जाने वाली कारें और परिवहन के अन्य साधन ;
- (vi) विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा रखी जाने वाली कारें, जब उनका उपयोग भारत में आए हुए कैबिनेट मंत्रियों और उससे उच्च रेंक के विदेशी उच्चाधिकारियों और समारोह के अवसर पर भारत में प्रत्यायित राजदूत की ड्यूटी में किया जा रहा हो।

भाग 2

प्राधिकारी, जो अपनी कारों पर तिकोनी धातु की पट्टिका पर अशोक चक्र (जो संप्रतीक का भाग है) संप्रदर्शित कर सकेंगे :

- प्रधान मंत्री और संघ के मंत्रियों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापित की कारें, जब वे भारत में कहीं
 भी यात्रा कर रहे हों;
- भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की कारें,
 अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर ;
- (iii) राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों के राज्य मंत्रियों, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्य विधान परिषदों के सभापित एवं उप-सभापित, विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों (उप-मंत्रियों को छोड़कर) और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की कारें जब वे, यथास्थिति, अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर यात्रा कर रहें हों (यदि उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा संप्रतीक अंगीकृत किया गया है या उसके संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची Ш

(नियम 9 देखें)

अन्य प्रयोजन जिनके लिए संप्रतीक प्रयोग किया जा सकेगा

- (i) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड ;
- (ii) विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों द्वारा भेजे गए बधाई कार्ड;
- (iii) सरकार के सरकारी प्रकाशन ;
- (iv) सरकार द्वारा निर्मित फिल्म और वृत्तचित्र ;
- (v) स्टाम्प पेपर ;
- (vi) सरकारी विज्ञापन, बैनर, पुस्तिकाएं, बोर्ड आदि ;
- (vii) कलगी, फ्लैग, आसन ऐसे उपांतरण के साथ, जो आवश्यक हों ;
- (viii) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, अनुज्ञप्तियां, परिमट आदि ;
- (ix) सरकार की वेबसाइट ;
- (x) भारत सरकार की टकसालों या मुद्रणालयों द्वारा जारी सिक्के, करेंसी नोट, वचनपत्र और डाक टिकट;
- (xi) सरकार द्वारा संस्थित मेडल, प्रमाणपत्र और सनद ;
- (xii) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र ;
- (xiii) राष्ट्रपति भवन, राज-भवनों, राज निवासों तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों या केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कांच के बर्तन, चीनी के बर्तन व छुरी कांटे ;
- (xiv) (क) संघ के सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारियों ;
 - (ख) संघ और ऐसी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की वर्दी वाली सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों, जिसने उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक अंगीकृत किया है या उसमें संप्रतीक सिम्मिलित किया है;
 - (ग) राष्ट्रपति भवन और विदेशों में भारतीय मिशन और पदों के प्राधिकृत कर्मचारिवृदों ; की गणवेश पर ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, बैज, कालर बटन आदि ;

(xv) विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों, इतिहास, कला या संस्कृति की पुस्तकों या संप्रतीक के उद्गम, महत्व या अंगीकार करने को स्पष्ट करने या उसका दृष्टांत देने के प्रयोजन के लिए किसी अध्याय, धारा आदि के पाठ के भाग रूप में किसी नियतकालिक पत्रिका में :

परन्तु संप्रतीक ऐसे प्रकाशन के मुख्य पृष्ठ, शीर्षक या आवरण पर प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे कि यह धारणा बनाई जा सके कि यह सरकारी प्रकाशन है।

स्पर्छोकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए ''सरकार'' के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन हैं जिसने, यथास्थिति, संप्रतीक अंगीकृत किया है या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संप्रतीक में संप्रतीक सम्मिलित किया है।

[फा. सं. 13/9/2006-पब्लिक]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2007

- G.S.R. 643(E).— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the use of the State Emblem of India in official seal and on stationery and its design, namely:—
- 1. Short title, extent, application and commencement.—(1) These rules may be called the State Emblem of India (Regulation of Use) Rules, 2007.
 - (2) It extends to the whole of India and also to the citizens of India outside India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005);
 - (b) "Emblem" means the State Emblem of India as defined in clause (b) of Section 2 of the Act;
 - (c) "Schedule" means a Schedule appended to these rules:
 - (d) "State Government" in relation to a Union territory means the Administrator of that Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution.
- 3. Design of the official seal.—(1) The design of the Official Seal shall have the emblem enclosed in an oval or round frame.
 - (2) The name of the Ministry or the office shall appear between the inner and outer rims of the frame.
- (3) The abbreviated form of the name of a Ministry or the office may be inscribed where it is not possible to accommodate the name in full.
- 4. Adoption by States or Union territories.—(1) A State Government may adopt the emblem as the official Emblem of the State or the Union territory, as the case may be, without obtaining the approval of the Central Government.
- (2) Where a State Government proposes to incorporate the emblem or any part thereof in the Emblem of that State or Union territory, as the case may be, it shall do so after obtaining the prior approval of the Central Government and shall get the design and lay out approved by the Central Government:

Provided that where a State Government has already incorporated the emblem or part thereof in the Emblem of that State or Union territory, as the case may be, prior to the coming into force of these rules, it may, subject to the other provisions of these rules, continue to use the emblem.

- 5. Use in official seals.—The use of the emblem in official seal shall be restricted to the authorities specified in Schedule I.
- 6. Use on stationery.— (1) The use of the emblem on official or demi-official stationery shall be restricted to the authorities specified in the Schedule I aforesaid.
- (2) The emblem, when printed or embossed on official or demi-official stationery, shall appear prominently on the middle of the top of such stationery.
- 7. Display on vehicles.—The use of the emblem on vehicles shall be restricted to the authorities specified in

4092 GI/07-2

- 8. Display on public buildings.—(1) The emblem may be displayed on very important public buildings, like, the Rashtrapati Bhawan, Parliament House, Supreme Court and Central Secretariat buildings.
- (2) The emblem may be displayed on Raj Bhawan or Raj Niwas and State Legislature, High Courts and Secretariat buildings of the States or the Union Territories that have adopted the emblem or have incorporated the emblem in the Emblem of the State or the Union Territory.
- (3) The emblem may be displayed on the premises of India's Diplomatic Mission abroad and the heads of Missions may display the emblem at their residences in the countries of their accreditation.
- (4) The emblem may be displayed on the buildings occupied by India's Consulates abroad at the entrance doors thereof and on the residences of Heads of consular posts in the countries of their accreditation.
- 9. Use for various other purposes.—Subject to the provisions of these rules, the emblem may be used for other purposes as are specified in Schedule III.
- 10. Restriction on the use of the emblem.—(1) No person (including former functionaries of the Government, like, former Ministers, former Members of Parliament, former Members of Legislative Assemblies, former judges and retired Government officials), other than those authorised under these rules, shall use the emblem in any manner.
- (2) No Commission or Committee, Public Sector Undertaking, Bank, Municipal Council, Panchayat Raj Institution, Parishad, non-government organisation, University, other than those authorised under these rules, shall use the emblem in any manner.
- (3) No association or body of persons, whether incorporated or not, shall use the emblem on their letter-heads, brochures, seats, crests, badges, house flags or for any other purpose in any manner.
- (4) The stationery, including letter heads, visiting cards and greeting cards, with emblem printed or embossed on it, shall not bear words, like, Advocate, Editor, Chartered Accountant with the name of the person authorised to use the emblem under these rules on the stationery.
- 11. Cases and conditions restricting the use of the emblem.— No person shall use or continue to use the emblem or any colourable imitation thereof for the purpose of any trade, business, calling or profession or in the title of any patent, or in any trade mark or design:

Provided that a person or a group of persons, association, body, corporate, may use the emblem in connection with an event organised by it or a publication brought out jointly with a Ministry or Department of the Central or State Government, with the prior approval of the Central Government.

- 12. Availability of design of the emblem.— (1) Photographic designs of the emblem are available with, and can be obtained from, the Manager, Photo Litho Wing, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.
- (2) Sample of standard dies of the emblem can be obtained from the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery, New Delhi.

SCHEDULE I

(See rules 5 and 6)

Constitutional or Statutory Authorities, Ministries or Departments of the Central Government, State Governments or Union Territory Administrations and other Government Functionaries which may use the Emblem.

- (i) President, Vice-President, Prime Minister and a Union Minister;
- (ii) Governors, Lieutenant Governors, Administrators, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union Territory, as the case may be;
- (iii) Office and officers of the Parliament of India;
- (iv) Judges and office and officers of the Judiciary;
- (v) Office and officers of the Planning Commission;
- (vi) Chief Election Commissioner of India, Election Commissioners and the office and officers of the Election Commission of India;
- (vii) Comptroller and Auditor General of India, the office and officers of the Comptroller and Auditor General of India;
- (viii) Chairperson and Members of the Union Public Service Commission and the office and officers of the Union Public Service Commission;
- (ix) Ministries, Departments and offices of the Central Government and their officers;

- (x) Diplomatic Missions abroad and their officers;
- (xi) Chief Ministers and Ministers of the States and the Union territories, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;
- (xii) Members of Parliament and members of State or the Union territory Legislative Assemblies or Councils,
- Ministries, Departments and offices of the State and the Union territory Governments and their officers, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;
- Office and officers of the State or the Union territory Legislative Assemblies or Councils, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory;
- (xv) Commissions and authorities, constituted or established by an Act of Parliament or set up by the Central
- Commissions and authorities constituted or established by an Act of the State Legislature or set up by (xvi) the State Government, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the

Explanation - For the purpose of this Schedule, the expression 'officer' shall mean a gazetted officer of the Central Government; or the State Government or the Union territory Administration.

SCHEDULE II

(See rule 7)

PARTI

Constitutional Authorities and other Dignitaries which may Display the Emblem on their Cars

- (i) cars of Rashtrapati Bhawan, when the following dignitaries or their spouses are travelling by such vehicles:
 - visiting Heads of foreign States, (b)
 - visiting Vice-Presidents of foreign State or dignitaries of equivalent status, (c)
 - visiting heads of foreign Governments or dignitaries of equivalent status like Crown Prince or
 - the spare car following the car of the President;
- (ii) car of Vice-President when he or his spouse is travelling by such vehicle;
- cars of Raj Bhawan and Raj Niwas, if the emblem is adopted by, or incorporated in the Emblem of, that State or the Union territory, when the following dignitaries or their spouses are travelling by such vehicles within (a) President.
 - (b) Vice-President,
 - (c) Governor of the State,
 - Lieutenant Governor of the Union territory, (d)
 - Visiting Heads of foreign States, (e)
 - Visiting Vice-Presidents of foreign States or dignitaries of equivalent status, (f)
 - Visiting Heads of foreign Governments or dignitaries of equivalent status;
- cars and other means of transport used by the Heads of India's Diplomatic Missions in the countries of
- cars and other means of transport used by the Heads of India's Counsellot posts abroad in the countries of
- cars maintained by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs when in use for duty with the foreign dignitaries of the rank of Cabinet Ministers and above visiting India, and Ambassadors accredited

PART II

Authorities which may Display the Ashoka Chakra (which is Part of the Emblem) on Triangular Metal Plaques on their Cars

- (i) cars of the Prime Minister and Ministers of the Union, Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairperson of the Rajya Sabha when travelling anywhere in India;
- (ii) cars of Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court, and Chief Justices and Judges of High Courts within their respective territories;
- (iii) cars of Cabinet Ministers in States, Ministers of States in States, Speakers and Deputy Speakers of the State Legislative Assemblies, Chairmen and Deputy Chairmen of Councils of States, Ministers (other than Deputy Ministers) of Union territories with Legislature, and Speakers and Deputy Speakers of Legislative Assemblies in Union territories, when they are travelling within their State or Union territory, as the case may be (if the emblem is adopted by, or is incorporated in the Emblem of, the State or the Union territory).

SCHEDULE III

(See rule 9)

Other Purposes for which Emblem may be used

- (i) Visiting Cards of the functionaries or officers specified in Schedule-I for legitimate representational purpose;
- Greeting Cards sent by functionaries or officers specified in Schedule-I for legitimate representational purpose;
- (iii) official publications of the Government;
- (iv) films and documentaries produced by the Government;
- (v) stamp papers;
- (vi) Government advertisements, banners, pamphlets, boards, etc.;
- (vii) crests, flags, seats with such modification as considered necessary;
- (viii) identity cards, licenses, permits, etc., issued by the Government;
- (ix) websites of the Government;
- (x) coins, currency notes, promissory notes and postal stamps issued by the Mint or Press of the Government of India;
- (xi) Medals, Certificates and Sanads instituted by the Government;
- (xii) invitation cards for functions of the Government;
- (xiii) representational glassware crockery and cutlery used at the Rashtrapati Bhawan, Raj Bhawans, Raj Niwases and Indian Missions or Posts abroad;
- (xiv) Badges, collars, buttons, etc., with such modifications as are considered necessary, on the uniforms of-
 - (a) commissioned or gazetted officers of the armed forces of the Union;
 - (b) gazetted officers of uniformed services (other than armed forces) of the Union and such of the State Governments and Union territory Administrations that have adopted the emblem, or have incorporated the emblem in the Emblem of that State or Union territory;
 - authorised staff of Rashtrapati Bhawan and Indian Missions or Posts abroad;
- (xv) school textbooks, books on history, art or culture or in any periodical as part of the text of a Chapter, Section, etc., for the purpose of explaining or illustrating the origin, significance or adoption of the emblem:
 Provided that the emblem shall not be used on the front page, title or cover of such publication so as to give an impression that it is a Government publication.
- Explanation:—For the purpose of this Schedule, the "Government" includes the Central Government; the State Governments and Union territory Administrations, which have adopted or incorporated the emblem in the Emblem of that State or Union territory, as the case may be.

[F. No. 13/9/2006-Public]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.